

Annexure-I

FORM-I  
(for Linear Projects)

Government of Uttarakhand  
Office of the District Collector, Chamoli

No. /

Dated : 19 / 06 / 2015

**TO WHOM SO EVER IT MAY CONCERN**

In compliance of the Ministry of Environment and Forests (MoEF), Government of India's letter No. 11-9/98-FG (pt) dated 3<sup>rd</sup> August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidence for having initiated and completed the process of settlement of rights under the scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA', for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 5<sup>th</sup> February 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that 1.440 Hectares of forest land proposed to be diverted in favor of **Public Works Department Uttarakhand for New Construction of Simli-Sheleshwar Motor Road in Karanprayag Constituency of District Chamoli** falls within jurisdiction of Kanot, Malla Gwad and Naini Village in Karanprayag Tehsil.

It is further certified that :-

- (a) The Complete Process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 1.440 Hectares of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meetings of the Forest Rights Committee (s), Gram Sabha (s), Sub-Division Level committee (s) and the District Level Committee are enclosed as annexure 23, 23.1, 23.2 and 23. (A).
- (b) The diversion of forest land for facilities managed by the government as required under section 3 (2) of the FRA has been completed and the Gram Sabha (s) have given their consent to it,
- (c) The Proposal does not involve recognized rights of Primitive Tribal Groups and Pre-agricultural communities.

Encl : As above



Ashok Kumar (IAS)  
District Magistrate  
Chamoli (Uttarakhand)

Annexure-I

**Office of the District Collector,  
District-Chamoli (Uttarakhand)**

**Proceeding of the meeting of the District Level Committee constituted under Schedule Tribes & Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Rights) Act (FRA), 2006**

A meeting of the District Level Committee of Chamoli District (Uttarakhand), constituted under FRA 2006 was held under the chairmanship of Shri Ashok Kumar (IAS), District Magistrate, Chamoli (Uttarakhand) on 15-06-2015. At 11 P.M. at Chamoli in which the application claiming rights in village Kanot, Malla Gwad and Naini of Tehsil-Karanprayag, area Measuring 1.440 Hectares for the **New Construction of Simli-Sheleshwar Motor Road in Karanprayag Constituency of District Chamoli** of forest land under FRA, 2006 of the following applicant duly processed and recommended by the Sub-Division Level Committee of Karanprayag Tehsil were discussed to consider the same for admission by the District Level Committee.

After scrutiny of the documents and detailed discussions no objection / claims were found to have been made and hence District Level Committee recommend the above case for diversion of the land for the said purpose.

**Ashok Kumar (IAS)**  
District Magistrate –cum-  
Chairman, District Level  
Committee, Chamoli

प्रपत्र-23.2

परियोजना का नाम:-

कार्यालय उप जिलाधिकारी

अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत प्रमाण-पत्र  
उपखण्ड स्तरीय समिति

उपखण्ड की प्रपाड़ा परिक्षेत्र के अन्तर्गत सिखली बॉल्डेर मोहर जमी कर्मिणी

(1.440 हे. आरक्षित वन भूमि 0.600 हे. सिविल एवं सोयम वन भूमि 0.060 हे. वन पंचायत भूमि, अर्थात् कुल 1.440 हे. वन भूमि) का अधिकारि प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के अन्तर्गत उप खण्ड स्तरीय समिति, (तहसील की प्रपाड़ा) की दिनांक 2/3/17 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरण:-

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक ..... उप जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

- 1- श्री ..... उपजिलाधिकारी की प्रपाड़ा
- 2- श्री शिवानन्द पुम उप प्रभागीय वनाधिकारी गणेश्वर
- 3- श्री मोहन सिंह फारसारी सहायक समाज कल्याण अधिकारी शारा
- 4- श्री ..... वी.डी.सी. क्षेत्र बदर

- 1) श्री मालदास पुनोहित वन अधिकार समिति सदस्य मुरदुल
- 2) श्रीमती सुशीला रावत वन अधिकार समिति सदस्य शुकेत
- 3) श्री मदिपाल सिंह गेगी वन अधिकार समिति सदस्य शेखर

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उप जिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों का अवगत बताया गया कि सिखली बॉल्डेर मोहर

मोहर जमी कर्मिणी परियोजना हेतु 1.440 हे. वन भूमि

**लौकिक**

प्रयोक्ता एजेन्सी को पक्ष में हस्तांतरित किये जाये हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत बनाधिकार का कोई मामला लागू नहीं है। उक्त भूमि का संबंधित ग्राम सभा द्वारा सर्व सम्मति से प्रस्तुत प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुरोध की गई है।

संबंधित उप प्रभागीय बनाधिकारी शोभा द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बंधी नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन ग्रा प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस सम्बन्ध में ग्राम सभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उप खण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

बैठक में सर्वसम्मति से उपखण्ड करीमपुर परिक्षेत्र के अन्तर्गत रिमली-बोय मण्डल में मोय मण्डल परियोजना के निर्माण हेतु 1.440 हे. वन भूमि लौकिक प्रयोक्ता एजेन्सी को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

3  
उप जिलाधिकारी अध्यक्ष,  
उप खण्ड करीमपुर वन अधिकार समिति  
तहसील करीमपुर  
जनपद कमोली

प्रतिलिपि:- जिलाधिकारी कमोली को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

अक्षय

3  
उप जिलाधिकारी अध्यक्ष,  
उप खण्ड करीमपुर वन अधिकार समिति  
जिलाधिकारी करीमपुर  
जनपद कमोली

प्रपत्र-23.1

परियोजना का नाम :-

वनअधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र

ग्राम पंचायत का नाम.....त्रैली.....तहसील.....कौप्रमण..... जिला.....बमोली (गढ़वाल)

अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद.....बमोली..... अन्तर्गत.....सिमली रोलेस्वा.....भोर भाग का  
वन विभाग..... परियोजना के निर्माण हेतु.....1.14.40 हे०  
 आरक्षित वनभूमि.....0.660 हे० सिविल सुयोग्य भूमि.....0.840 हे० वनपंचायत भूमि  
 अर्थात् कुल.....1.14.40 हे० वनभूमि का.....सिमली रोलेस्वा विभाग/संस्था के पक्ष में  
 भारत सरकार, पर्यावरण एवं वनमंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन  
 प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विशय मे ग्राम पंचायत.....त्रैली..... द्वारा दिनांक.....28-2-2015  
 को सम्पन्न ग्रामसभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित  
 वनभूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई।  
 यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वनभूमि में  
 आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा  
 नहीं। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वनभूमि में  
 किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा  
 रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वनभूमि पर  
 ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्रामसभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया / प्रस्ताव  
 पारित किया गया कि ग्राम.....त्रैली..... के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि.....सिमली रोलेस्वा  
भोर भाग का प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई  
 आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

हो. 07/  
 ग्रामसचिव

सुबोध कुलकर्णी

नोट :- \* यदि किसी आदिवासी अथवा वनवासी की निजी भूमि प्रभावित हो रही  
 है, तो तदनुसार उसका विवरण उक्त प्रपत्र में दिया जाय।

उक्त प्रपत्र उप जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा प्राप्त कर  
 प्रयोक्ता एजेन्सी को उपलब्ध कराया जायेगा।



प्रपत्र-23.1

दिनांक 28-2-2015 को ग्रामसभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्रामपंचायत नेही

क्रमांक	ग्रामसभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हरताक्षर
1	दीपा प्रसाद गैरोला	<i>[Signature]</i>
2	विजय कुमार डेवलपुर	<i>[Signature]</i>
3	विजय प्रसाद	<i>[Signature]</i>
4	सुनील (कुमार) डेवलपुर	<i>[Signature]</i>
5	अरुण मेहरोत्री	<i>[Signature]</i>
6	केशव प्रसाद गैरोला	<i>[Signature]</i>
7	शमशेर नौवाल	<i>[Signature]</i>
8	सुधाकर मेहरोत्री	<i>[Signature]</i>
9	विपुल कुमार डेवलपुर	<i>[Signature]</i>
10	शरणाश्वर डेवलपुर	<i>[Signature]</i>
11	प्रदीप चंद्र डेवलपुर	<i>[Signature]</i>
12	सत्य प्रसाद डेवलपुर	<i>[Signature]</i>
13	अनिल कुमार डेवलपुर	<i>[Signature]</i>
14	परशुराम डेवलपुर	<i>[Signature]</i>
15	अशोक नौवाल	<i>[Signature]</i>
16	सत्य प्रसाद नौवाल	<i>[Signature]</i>
17	गणेश नौवाल	<i>[Signature]</i>
18	महेश चंद्र गैरोला	<i>[Signature]</i>
19	लक्ष्मण गैरोला	<i>[Signature]</i>
20	रिखली देवी	<i>[Signature]</i>
21	विश्वेश्वरी देवी	<i>[Signature]</i>
22	शिवराम डेवलपुर	<i>[Signature]</i>
23	उषा प्रसाद	<i>[Signature]</i>

28/2/15 CC  
AV

ह0 /  
ग्रामप्रधान



## प्रपत्र- 23.1

परियोजना का नाम:-

वनअधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र

ग्राम पंचायत का नाम:- कनौठ (मेरवा, 2015)

तहसील - ~~कनौठ~~ जिला - चमोली

## अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद चमोली के डाक्टरीट शिमली इंटरिश्तर मोटर मार्ग परियोजना के निर्माण हेतु X हे०, आरक्षित वनभूमि, 0.60 हे० सिविल सोयम भूमि, 0.840 हे० वनपंचायत भूमि अर्थात् कुल 1.440 हे० वन भूमि का लोक निर्माण विभाग/संस्था के पक्ष में भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत कनौठ द्वारा दिनांक 28/03/15 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के सम्बन्ध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गयी। यह कि वन अधिकार अधिनियम 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वनभूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वनभूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया/ प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम कनौठ के ग्रामवासियों को उक्त वनभूमि शिमली - इंटरिश्तर मोटर मार्ग हेतु प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जा सत्य एवं सही है।

ह०/-

ग्राम सचिव.....



नोट:- यदि किसी आदिवासी अथवा वनवासी की निजी भूमि प्रस्तावित हो रही है तो तदनुसार उसका विवरण उक्त प्रपत्र में दिया जाय।

उक्त प्रपत्र उप जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा प्राप्त कर प्रयोक्ता एजेन्सी को उपलब्ध कराया जाएगा।

## प्रपत्र- 23.1

दिनांक...28/02/15...को ग्रामसभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति  
ग्राम पंचायत...कमोठ (मैलवा गाड़)

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1	गुंडडा देवी	गुंडडा देवी
2	गणपति लाल	गणपति लाल
3	गणपति लाल	गणपति लाल
4	सुरज देव	सुरज देव
5	विजया देवी	विजया देवी
6	सुसुमा देवी	सुसुमा देवी
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		

